

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 425] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 1977/आश्विन 8, 1899

No. 425] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 1977/ASVINA 8, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th September. 1977

S.O. 699(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby appoints the second day of October, 1977 as the date on which the said Act shall come into force in respect of employments on construction and in activities connected with construction, specified in the Schedule hereto annexed.

THE SCHEDULE

I. Construction:

1. Construction and maintenance of buildings (including aerodromes).
2. Construction and maintenance of roads, railways, bridges, tunnels, pipelines, ports, harbours, runways and similar works.
3. Construction and maintenance of telegraph and telephone lines and other communication systems
4. Construction and maintenance of water-ways and water reservoirs such as bunds, embankments, dams, canals, tanks, wells and tubewells.
5. Construction of hydro-electric projects.
6. Construction of industrial plants including thermal plants.

7. Construction not elsewhere classified.

III Activities connected with construction.

1. Plumbing.
2. Heating and air conditioning installation, lift installation, sound proofing and similar works
3. Setting of tile, marble, brick, glass and stone.
4. Plumber works such as fixing of doors, windows, panels, painting and decorating.
5. Electrical installation.
6. Other activities connected with construction not elsewhere classified, such as fixing of handpumps.

[No. S-42013/2/77-WC]

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1977

का० प्रा० 699(अ).—केन्द्रीय सरकार समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2-10-1977 को उक्त तारीख के रूप में नियत करती है जिस को उक्त अधिनियम इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट-निर्माण तथा निर्माण से सम्बद्ध कार्यों से सम्बन्धित नियोजनों के बारे में प्रवृत्त होगा।

अनुसूची

I निर्माण

1. भवनों (हवाई अड्डों सहित) का निर्माण तथा अनुरक्षण।
2. मण्डको, रेलों, पुलों, सुरंगों, पाइपलाइनों, पत्तनों, बन्दरगाहों, रनवेज और समान कार्यों का निर्माण तथा अनुरक्षण।
3. तार और टेलीफोन लाइनों और अन्य संचार प्रणालियों का निर्माण तथा अनुरक्षण।
4. जल मार्गों, जलाशयों जैसे बाधों, भरावों (इम्बेन्कमेंट), डेमों, नहरों, तालाबों, कुओं और नलकूपों का निर्माण तथा अनुरक्षण।
5. जन विद्युत् परियोजनाओं का निर्माण।
6. उष्मा सयंत्रों सहित औद्योगिक सयंत्रों का निर्माण।
7. निर्माण जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है।

II. निर्माण से सम्बद्ध कार्य

1. नलमाजी।
2. तापन और वातानुकूलन संस्थापन, लिफ्ट संस्थापन, ध्वनिरोधी तथा समान कार्य।
3. टाइल, संगमरमर, ईंट, शीशे और पत्थर की सैटिंग।
4. नक्काशी कार्य जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ, पैनेल पेंटिंग और डेकोरेटिंग।
5. विद्युत् स्थापन।
6. निर्माण से सम्बद्ध अन्य कार्य जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं जैसे हैंडपम्प लगाना।

S.O. 700(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby specifies the employments on construction, and in activities connected with construction, mentioned in the Schedule annexed hereto, for the purpose of constitution of one or more Advisory Committees, by the appropriate Government, to advise it with regard to the extent to which women may be employed in such employments

THE SCHEDULE

I. Construction:

- 1 Construction and maintenance of buildings (including aerodromes).
2. Construction and maintenance of roads, railways, bridges, tunnels, pipelines, ports harbours, runways and similar works.
3. Construction and maintenance of telegraph and telephone lines and other communication systems.
4. Construction and maintenance of water-ways and water reservoirs such as bunds, embankments, dams, canals, tanks, wells and tubewells.
5. Construction of hydro-electric projects.
6. Construction of industrial plants including thermal plants.
7. Construction not elsewhere classified

II. Activities connected with construction

1. Plumbing
2. Heating and air conditioning installation, lift installation, sound proofing and similar works.
- 3 Setting of tile, marble, brick, glass and stone.
4. Plumber works such as fixing of doors, windows, panels, painting and decorating
- 5 Electrical installation.
6. Other activities connected with construction not elsewhere classified, such as fixing of handpumps.

[No. S-42013/2/77-WC]

D. BANDYOPADHYAY, Jt. Secy.

का० प्रा० 700 (अ).—केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट निर्माण तथा निर्माण से सम्बद्ध कार्यों से सम्बन्धित नियोजनों को, समुचित सरकार द्वारा एक या अधिक सलाहकार समितियाँ गठित करने के लिए विनिर्दिष्ट करती है, जो इस सम्बन्ध में सलाह देगी कि ऐसे नियोजनों में किम सीमा तक महिलाओं को नियोजित किया जाए ।

अनुसूची

I. निर्माण

1. भवनों (हवाई अड्डों सहित) का निर्माण तथा अनुरक्षण ।
2. सड़कों, रेलों, पुलों, सुरंगों, पाइपलाइनों, पत्तनों, बन्दरगाहों, रतवेज और समान कार्यों का निर्माण तथा अनुरक्षण ।
3. तार और रेडियो -

4. जल मार्गों, जलाशयों जैसे बाधों, भरावों, (इम्बेन्कमेन्ट), डेमो, नहरों, तालाबों, कुओं और नलकूपों का निर्माण तथा अनुरक्षण ।
5. जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण ।
6. उस्मा संधतों सहित औद्योगिक संयंत्रों का निर्माण ।
7. निर्माण जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है ।

II. निर्माण से सम्बद्ध कार्य

1. नलसाजी ।
2. तापन और वातानुकूलन स्थापन, लिफ्ट संस्थापन, ध्वनिरोधी तथा समान कार्य ।
3. टाइल, सगमरमर, ईंट, शीशे और पत्थर की सैटिंग ।
4. नलसाजी कार्य जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ, पैनल पेंटिंग और डेकोरेटिंग ।
5. विद्युत स्थापन ।
6. निर्माण से सम्बद्ध अन्य कार्य जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं जैसे हैंडपम्प लगाना ।

[सं० एस० 42013/2/77-डब्ल्यू०सी०]

डी० बंधोपाध्याय, संयुक्त सचिव ।